न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री दाताराम आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 07/2019 **GCMS NO-2019/00012**

प्रार्थी		**अप्रार्थी**
लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।	**बनाम**	1. श्री दिनेश कुमार ओझा पुत्र श्री अमोलक चन्द्र ओझा उम्र 30 वर्ष जाति ओझा निवासी जुना पाड़ा फतेहगढ जैसमलेर मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर मेन रोड फतेहगढ जिला जेसलमेर (मौके पर विक्रेता) 2. मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर मेन रोड फतेहगढ जिला जेसलमेर

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित व उनके अधिवक्ता भी अनुपस्थित।

:: निर्णय :: **दिनांक: 27.10.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को ज़रिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.02.2018 को दोपहर 11.00 एएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर मेन रोड फतेहगढ जिला जेसलमेर का निरीक्षण किया। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में बेसन टेस्ट किंग ब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर रहा था। जिसके अमानक होने का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली। तत्पश्चात बेसन टेस्ट किंग ब्राण्ड लगभग 500–500 ग्राम की पैक थैली में नमूने वास्ते लिये, जिसके पेटे 200/– रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की। खरीद सुदा बेसन टेस्ट किंग ब्राण्ड के चार नमूने लिये प्रत्येक को गत्ते के डिब्बे पैक कर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येंक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन–823 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–823 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोद से

27/10/22

Scanned with CamScanner

चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–823 बेसन टेस्ट किंग ब्राण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने उक्त में से एक नमूना खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जांच हेतु भेजा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/11273–76 दिनांक 11.04.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./181/Act/2018/200 दिनांक 22.03.2018 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। उक्त केस में विक्रेता 1. दिनेश कुमार ओझा पुत्र श्री अमोलक चन्द्र ओझा उम्र 30 वर्ष जाति ओझा निवासी जुना पाड़ा फतेहगढ जैसमलेर मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर मेन रोड फतेहगढ जिला जेसलमेर (मौके पर विक्रेता) 2 मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर मेन रोड फतेहगढ जिला जेसलमेर ने सबस्टेण्डर्ड बेसन टेस्ट किंग ब्राण्ड का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें।

अप्रार्थी सं. 01 व 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित, उन्हें अंतिम अवसर दिया गया। अंतिम अवसर पर भी अप्रार्थी गण व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्रस्तुत किया। अतः जवाब बंद किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए नियमानुसार जुर्माना लगाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं L.S./181/Act/2018/200 दिनांक 22.03.2018 के अनुसार बेसन टेस्ट किंग ब्राण्ड खाद्य पदार्थ का उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किया। जिससे अप्रार्थीगण पर सबस्टेण्डर्ड स्तर के बेसन टेस्ट किंग ब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाला है, एवं अप्रार्थी 1. दिनेश कुमार ओझा पुत्र श्री अमोलक चन्द्र ओझा उम्र 30 वर्ष जाति ओझा निवासी जुना पाड़ा फतेहगढ जैसमलेर मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर मेन रोड फतेहगढ जिला जेसलमेर

27/7/22

Scanned with CamScanner

(मौके पर विक्रेता) व अप्रार्थी 2 मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर मेन रोड फतेहगढ जिला जेसलमेरफर्म के सबस्टेण्डर्ड स्तर का बेसन टेस्ट किंग ब्राण्ड खादय पदार्थ विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सं. 01 पर 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये व अप्रार्थी सं. 02 पर 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये कुल 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/10/22

(दाताराम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned with CamScanner